कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न० (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) – 2713724, 2712014

संख्या 97 /XXV–12/2008(P-2) देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2013

सेवा में,

श्री प्रदीप भण्डारी,
सामाजिक कार्यकर्ता,
नानपारा हाउस, लण्डौर मंसूरी,
जिला देहरादून

विषय:- **सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी / सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 1336 दिनांक 07 फरवरी, 2013 के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी अपने आवेदन पत्र दिनांक 21 जनवरी, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से 03 बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त सन्दर्भित आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित नगर पालिका परिषद (नगर निकाय) से संबंधित सूचनायें इस कार्यालय/भारत निर्वाचन आयोग की परिधि के अर्न्तगत नहीं आते हैं।

कृपया तद्नुसार अवगत होना चाहें।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

सूचना
का अधिकार

सत्यमेव जयते

पत्रांक : 1336 विशेष वाहक द्वारा
/रा.नि.आ.-1/1380/2013

दिनांक 7/2/2013

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक- 08/02/13
रजिस्टर क्रमांक-35 पत्रावली संख्या-

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

Jt. CEO

अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
4-सुभाष रोड़, सचिवालय, परिसर
देहरादून।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
8/2/13

महोदय,

कृपया संलग्न श्री प्रदीप भन्डारी, सामाजिक कार्यकर्ता, नानपारा हाउस, लण्ढौर मंसूरी, जिला देहरादून का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 21.01.2013 जो अवर सचिव तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, भारत निर्वाचन सचिवालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 28.01.2013 द्वारा अंतरित होकर राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 05.02.2013 को प्राप्त हुआ है। अनुरोध पत्र में मांगी गई सूचनाएं जो नागर निकाय से सम्बन्धित है वह राज्य निर्वाचन आयोग स्तर से उपलब्ध कराई जा रही है।

उक्त अनुरोध पत्र की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना जो सूचना आपके विभाग से संबंधित हो, कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-सूचना का अनुरोध पत्र (छायाप्रति)

भवदीय,

(अजीत सिंह),
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक आयुक्त।

संख्या- /रा0नि0आ0अनु-1/1380/2013 तद्दिनांक।(स्पीड पोस्ट)
प्रतिलिपि सूचनार्थ- श्री प्रदीप भन्डारी, सामाजिक कार्यकर्ता, नानपारा हाउस, लण्ढौर मंसूरी, जिला देहरादूनका ।

(अजीत सिंह),
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक आयुक्त।

निर्वाचन भवन, लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष / 2670457,2670998
टैलीफैक्स: 2670920,2678945

तार : निर्वायोग
नई दिल्ली

GRAM: ELECCOM
NEW
DELHI

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

1124
5/2/13

रजिस्टर्ड डाक द्वारा

फैक्स : 23713412
FAX : 23713412

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

No. **4/RTI/(Gen.)/2013/Vol. I** /158

Dated: **28.01.2013**

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आवेदन का अंतरण ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर श्री प्रदीप भंडारी, नानपारा हाउस, लंढौर मसूरी, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड-248179 से प्राप्त दिनांक 21.01.2013 के आवेदन(छाया प्रति संलग्न) जो कि आयोग में दिनांक 23.01.2013 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें ।

आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना/आपके कार्यालय से संबंधित है । अतः एतद्द्वारा उपरोक्त आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपके माध्यम से संबंधित सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाता है ।

आपसे सूचना, आयोग को बिना सूचित किये, सीधे आवेदक को देने का अनुरोध किया जाता है ।

उपर्युक्त आवेदन के साथ सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियम) नियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित आवेदन शुल्क सरकारी खाते में जमा कर दिया गया है ।

भवदीय

(आनंद कुमार पाठक)
अवर सचिव तथा
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

5.2.2013

प्रेषक : प्रदीप भण्डारी
सामाजिक कार्यकर्ता

पत्राचार – नानपारा हाउस, लंढ़ौर मसूरी
जिला– देहरादून, उत्तराखण्ड 248179

पत्रांक : लो. सू. 45 / 13

दिनांक : ~~05-01-2013~~ 21-1-2013

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
भारत निर्वाचन आयोग
नई दिल्ली ।

86.

D.No 26/RP/13(H)
24/1/13

विषय : लोक सूचना अधिनियम 2005 के तहत निम्नांकित सत्यापित सूचना अभिलेख उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में ।

1. यह कि भारत के उत्तराखण्ड प्रदेश के किसी नगर पालिका परिषद (नगर निकाय) के निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा अपने चुनाव नामांकन पत्र में स्वयं की शिक्षा या पत्नी के बारे में सत्यता छुपाकर झूठा शपथ पत्र जमा किया गया हो, तो क्या झूठा शपथ देने वाले निर्वाचित अध्यक्ष के विरूद्व आम आदमी किसी कानूनी कार्यवाही हेतु किसी अधिकारी या विभाग को इस सम्बन्ध में शिकायती पत्र लिख सकता है? यदि आम आदमी को शिकायती पत्र लिखने का भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधान में किसी कार्यवाही का कोई नियम है तो सम्बन्धित नियम/ प्रावधान का अभिलेख उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ।

2. यह कि भारत के उत्तराखण्ड प्रदेश के किसी नगर पालिका परिषद (नगर निकाय) के निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा अपने चुनाव नामांकन पत्र में स्वयं की शिक्षा या पत्नी के बारे में सत्यता छुपाकर झूठा शपथ पत्र जमा किया गया हो तो, झूठा शपथ देने वाले निर्वाचित अध्यक्ष के विरूद्व कार्यवाही का अधिकार किस अधिकारी को है । तथा भारत निर्वाचन आयोग के सम्बन्धित नियम /प्रावधान का अभिलेख उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ।

3. यह कि भारत के उत्तराखण्ड प्रदेश के किसी नगर पालिका परिषद (नगर निकाय) के निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा अपने चुनाव नामांकन पत्र में स्वयं की शिक्षा या पत्नी के बारे में सत्यता छुपाकर झूठा शपथ पत्र जमा किया गया हो तो क्या झूठा शपथ देने वाले निर्वाचित अध्यक्ष के विरूद्व अधिक से अधिक क्या कार्यवाही की जा सकती है तथा क्या दण्ड निर्धारित किया जा सकता है कृप्या भारत निर्वाचन आयोग के सम्बन्धित नियम /प्रावधान का अभिलेख उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ।

संलग्नक – 10 रूपये का पोस्टल आर्डर संख्या– 06F 717877

प्रार्थी
प्रदीप भण्डारी

Smt. S.N.